



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1569 / SEIAA/2022

Date: 9/9/22

प्रति,

श्री आशीष तिवारी,  
आत्मज श्री बालकृष्ण तिवारी,  
निवासी नवलपुर, तहसील सोहागपुर,  
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र 9257/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष तिवारी आत्मज श्री बालकृष्ण तिवारी, निवासी नवलपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25171 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1728/1, ग्राम धनगांव, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC समिति की 591वी बैठक दिनांक 27.08.2022 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 745 वी बैठक दिनांक 05.09.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 591वी बैठक दिनांक 27.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1570 /SEIAA/2022

दिनांक - 9/9/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - शहडोल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - शहडोल (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - शहडोल (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी